



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 2139/2026

शिफा एवं एक अन्य

...याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह, लखनऊ एवं अन्य

...प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – आलोक कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, रिजवानुल हक अंसारी, शांति

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 हेतु विद्वान अधिवक्ता श्री रिजवानुल हक अंसारी को सुना।
2. यह याचिका प्रतिवादियों को यह आदेश देने हेतु एक परमादेश के लिए दायर की गई है कि वे याचिकाकर्ताओं का उत्पीड़न न करें और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करें।
3. मामले के तथ्यों को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 में विस्तृत रूप से पहले ही दर्ज किया जा चुका है, जिसे सुविधा के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है:

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी राज्य की ओर से विद्वान अपर

शासकीय अधिवक्ता साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित चौहान

को सुना।

2. यह रिट याचिका प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं का उत्पीड़न न करने और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उन्होंने दिनांक 24.02.2026 को विवाह किया था। निकाहनामे की एक प्रति याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न की गई है। प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ताओं के विवाह से खुश नहीं है और इसलिए उन्हें परेशान कर रहा है।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के वयस्क होने के समर्थन में, याचिकाकर्ता संख्या 1, शिफा के जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति दाखिल की गई है, जो उसकी जन्म तिथि दिनांक 06.07.2007 दर्शाती है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 की जन्म तिथि उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर दिनांक 18.08.2001 है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित चौहान का कथन है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 अवयस्क है, जिसकी जन्म तिथि दिनांक 06.08.2008 है। विद्वान अधिवक्ता ने हाई स्कूल की अंकतालिका की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत की है जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 की जन्म तिथि दिनांक 06.08.2008 दर्शाई गई है, जिसे अभिलेख पर रखा जाएगा।

6. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के हाई स्कूल के अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि दिनांक 06.08.2008 से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 अवयस्क है, और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं का विवाह विधिक रूप से वैध है। यह भी कहा गया है कि यह ऐसा मामला हो सकता है जहां वे लिव-इन रिलेशनशिप में हों, लेकिन तब भी, चूंकि दर्ज जन्म तिथि दिनांक 06.08.2008 के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 1 अवयस्क है, वे किसी भी लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, भले ही इस न्यायालय द्वारा विवाह की वैधता का परीक्षण न किया जाए।

7. प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का जन्म प्रमाण पत्र वास्तविक और वैध है, हालांकि इसे दिनांक 05.02.2026 को जारी किया गया था।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता संख्या 1 का उक्त जन्म प्रमाण पत्र जोड़-तोड़ किया हुआ या फर्जी निकलता है या जाली या मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर या जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अयोग्य दस्तावेजों के आधार पर जारी पाया जाता है, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, जिसके लिए याचिकाकर्ता तैयार हैं।

9. तदनुसार, थाना प्रभारी द्वारा ग्राम पंचायत, कैमहरा द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की वैधता की जांच की जाए, जिसकी एक प्रति याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में दाखिल की गई है, जिसमें उन दस्तावेजों की भी जांच शामिल है जिनके आधार पर इसे जारी किया गया था।

10. सत्यापन की कार्यवाही 10 दिनों की अवधि के भीतर की जाए।

11. इस मामले को दिनांक 24.03.2026 को सूचीबद्ध करें।

12. यदि सत्यापन नहीं किया जाता है और नियत तिथि तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो थाना प्रभारी, थाना महेवागंज, जिला खीरी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

13. तब तक, प्रतिवादीगण याचिकाकर्ताओं का किसी भी रूप में उत्पीड़ित नहीं करेंगे।"

4. उपरोक्त आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्तागण स्वयं के विवाहित होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल जन्म प्रमाण पत्र (अनुलग्नक संख्या 1) के आधार पर याचिकाकर्ता संख्या 1 की जन्म तिथि दिनांक 06.07.2007 बताई गई है। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने हाई स्कूल की अंकतालिका प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 1 की जन्म तिथि 06.08.2008 थी।

5. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने पर, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से याचिकाकर्ता संख्या 1 के जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में पूछा था, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से कहा था कि यदि जन्म प्रमाण पत्र हेराफेरी किया हुआ या फर्जी पाया जाता है, तो याचिकाकर्ता परिणामों को भुगतने के लिए तैयार हैं।

6. आज, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उप-निरीक्षक आदित्य कुमार मौर्य, खीरी द्वारा भेजे गए निर्देश दिनांक 19.03.2026 के आधार पर कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 के संबंध में संलग्न जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया है और याचिकाकर्ता संख्या 1 के जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या बी202609144410000010 है।

7. सत्यापन करने पर, उक्त जन्म प्रमाण पत्र गाँव- कैमहरा, थाना- फरधान, जिला- लखीमपुर खीरी की निवासी अंशिका देवी पुत्री श्री विजय पाल के नाम पर जारी पाया गया है। उक्त जन्म प्रमाण पत्र की प्रति भी उपलब्ध है। न्यायालय ने अंशिका देवी के पक्ष में जारी उक्त जन्म प्रमाण पत्र का परिशीलन किया है, जिसकी पंजीकरण संख्या वही है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 की जन्म तिथि के संबंध में संलग्न की गई है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा अपनी आयु के संबंध में संलग्न जन्म प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से जाली, मनगढ़ंत और हेराफेरी किया हुआ है। अतः, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में हेरफेर किए गए, जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर याचिका दायर की है।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना अधिरोपित करना न्यायहित में पर्याप्त होगा।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका 15,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। जुर्माने की राशि चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के विधिक सहायता विभाग में जमा की जाए, अन्यथा यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

10. उचित कार्रवाई हेतु इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को भेजी जाए।

24 मार्च, 2026

केकेवी

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।